

आम सूचना
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद (बिहार)
पारा विधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है।
(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)
(आवेदन की अन्तिम तिथि 15.03.2021)

कौन आवेदन दे सकता है:-

ऐसी व्यक्ति (महिला/पुरुष) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान में रुचि रखते हैं तथा उनके लिए कार्य करना चाहते हैं इनमें शिक्षक (सेवा निवृत्त शिक्षक सहित), सेवा निवृत्त सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र, गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सेवा समूह, मैत्री समूह, जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति (विद्वान अधिवक्ता को छोड़कर) जो स्वयं सेवा में रुचि रखते हो तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार ठीक समझें। पूर्व में चयनित पारा विधिक स्वयं सेवक भी पुनः आवेदन दे सकते हैं, उन्हें वरियता प्रदान की जायेगी।

पारा विधिक स्वयं सेवक के कार्य:-

पारा विधिक स्वयं सेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य, प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय द्वारा सौंपा जाए करना है।

पदों की संख्या:-

100 (एक सौ) चूंकि पारा विधिक स्वयं सेवकों से गाँवों या गाँवों के समूह में कार्य लेना है। अतः जिले के सभी क्षेत्रों से पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जायेगा। सभी आवेदक अपने-अपने प्रखण्ड से ही आवेदन करेंगे।

आरक्षण:-

क्योंकि पारा विधिक स्वयं सेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नहीं है। अतः पदों का आरक्षण नहीं है, परन्तु स्कीम के अनुरूप सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

शैक्षणिक योग्यता:- मैट्रिक पास

आवेदन विहित प्रपत्र में आवेदन पुरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति लगाकर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के कार्यालय में हाथों-हाथ या पंजीकृत डाक से दिनांक 15.03.2021 तक भेजें। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन के साथ 25/- (पच्चीस) रुपये का डाक टिकट लगा, स्वपता लिखा लिफाफा अनिवार्य रूप से संलग्न करें। आवेदक अपने आवेदन पर अपनी सम्पर्क संख्या अनिवार्य रूप से लिखें।

मानदेय:-

रु0 500/- (पाँच सौ रूपया) प्रतिदिन:- परन्तु यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए भुगतये होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें कोई विशेष कार्य करने हेतु सौंपती है या स्वयं सेवक गाँव से किसी व्यक्ति को विधिक सहायता हेतु विधिक सेवा प्राधिकार या ए0डी0आर0 केन्द्र में ले आता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है।


सामान्य अनुदेश:-

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।
3. अच्छा चरित्र का हो, तथा समाज सेवा में रुचि रखता हो।
आवेदन भेजने का पता:-

सचिव,
कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार
विधिक सेवा सदन, व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद।

प्रपत्र

पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन पत्र
(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)



1. आवेदित पद:-
2. आवेदक का नाम:-
3. पिता' /पति का नाम:-
4. स्थायी पता:- ग्राम-.....थाना.....पो0.....
प्रखण्ड.....जिला.....पीन कोड.....
5. वर्तमान पता:- ग्राम-.....थाना.....पो0.....
प्रखण्ड.....जिला.....पीन कोड.....
- 6.
7. शैक्षणिक योग्यता:-
8. विशिष्ट योग्यता:-
9. जन्म तिथि:-
10. सम्पर्क संख्या
11. आवेदक की श्रेणी:- (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/
अति पिछड़ा वर्ग।

तिथि:-

स्थान:-

आवेदक का हस्ताक्षर